

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)


//आदेश//

क्रमांक-556/दो-11-5/84

सागर, दिनांक 29/05/2024

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के राजपत्र दिनांक- 28.06.2019 द्वारा प्रकाशित म.प्र. जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 के आलोक में जिला स्थापना पर गठित पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं प्रतिवेदन दिनांक- 29.05.2024 के अनुसार कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायिक स्थापना सागर हेतु रिक्त सहायक लेखापाल के पद पर वेतनमान 5200-20200+2400(सातवां वेतनमान- 25300-80500) लेवल 6 में निम्न सहायक ग्रेड- 2 को क्रमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है-

कं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नत पद	रिमार्क
1	श्री दीपक मिश्रा	सहायक गेड- 2 निष्पादन लिपिक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बीना जिला सागर	सहायक लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर	श्री बलराम पटेल सहायक लेखापाल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सागर के पदोन्नति उपरांत रिक्त हुये पद पर



29/05/2024
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर, म.प्र.

पृ. क्रमांक-2518 /दो-11-5/84

सागर, दिनांक- 29.05.2024

प्रतिलिपि-

01. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बीना जिला सागर की ओर सूचनार्थ
02. श्री दीपक मिश्रा सहायक गेड- 2 (निष्पादन लिपिक) न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बीना जिला सागर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक- 01.06.2024 तक या उससे पूर्व अपना विस्तृत चार्ज श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह निष्पादन लिपिक को सौंपकर भारमुक्त होकर नवीन पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुये वर्तमान सहायक लेखापाल बलराम पटेल से विस्तृत चार्ज आदान प्रदान कर चार्ज सूची संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर, म.प्र.